Central Bank of India Sahupokhar Branch Mzr

अनुसूची २१ - प्रपत्र संख्या ११३ ।

प्रमाण-पत्र, सं० 3542, २०17 ।

संपत्ति-अवधार-प्रमाणपत्र

30413/17

आवेदन सं०.....२०

चूँकि श्री/M/s Asha Realty Developers Pvt Ltd. ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित संव्यवहारों और अवधारों का संविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय,

3542
10/10/17

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

32736
32737
10/10/17

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में कहीं मैं और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 1/1/1985 २० से ता० 16/9 २०17 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला है :- Nil

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
१	२	३	४	५	६	७	८	९
Mauza Kasba Muzaffarpur Sahu Road PS Town Thana No 407 Dist Muzaffarpur			Khata 315	Khasra 80 Kakha Ga Gha Anga Cha 80/594/41	Nil			
			314	71				

82.3 Dismil

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १ । बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

२ । पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार को पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :-

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :

कार्यालय

तारीख 10-10-12

मोहर

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।

10-10-12

टिप्पणी :- (१) इस प्रमाण पत्र में जो व्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे।

(२) निबन्धन अधिनियम के धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु, चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विधान प्रमाण पत्र दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और, चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूंढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूंढे गये संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा जिससे उच्च सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

30413

M/s आशा रेडी टेक्सर्स

पं० अशवनि कु० सहा



500=00

16-9-17